न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 126/2023

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र किशनलाल,
2. बद्रीलाल पुत्र किशनलाल,
3. अमरी पत्नि शुभकरण,
4. धूकण पुत्र शुभकरण,
5. शैतान पुत्र स्व. सांवरलाल,
6. धर्मेन्द्र पुत्र सांवरलाल,
7. सुखपाल पुत्र सांवरलाल,
8. प्रेम पत्नि सांवरलाल समस्त जातिगण जाट निवासी ग्राम मावशिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय

—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 5/8/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 मोराझडी की निम्न आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है :–

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
1854	27–15–0	1981/2029	9–15–0	2077	0.54
				2078	0.52
				2079	0.52

उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 1854 की आराजी वादीगण के पूर्वज किशनलाल, गंगाराम, श्योचन्द व जगन्नाथ पि0 बालूराम जाति जाट नि0 ग्राम मावशिया के नाम खातेदारी थी। उक्त आराजी पर किशनलाल व गंगाराम पुत्र बाल[illegible] वारिस वादीगण है जिनका वादग्रसत सम्पदा पर 1/2 हिस्सा निहित है। हाल [illegible]स्व [illegible]लेख में उक्त आराजी किशनलाल व गंगाराम के वारिसान वादीगण के नाम दर्ज [illegible] बजाय बंदोबस्त विभाग ने किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालूराम के स्थान [illegible] गंगाराम गलत अंकन क[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:41 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दिया। अतः उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।
वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्ध करे। प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।
अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेखपेश किये एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
राज0 पैरोकार ने भी साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। **चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022–25** में चौसाला खसरा नम्बर 1854 खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2034 में मूल खातेदार किशनलाल, गंगाराम वगै. पि0 बालूराम जाति जाट के नाम दर्ज है। वंर्किंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालू के स्थान पर किशनलाल पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज की दी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व शजरा प्रमाण पत्र अनुसार किशनलाल व गंगाराम दोनो भाई है जिनके पिता का नाम बालूराम है जबकि राजस्व अभिलेख में किशनलाल व गंगाराम को पिता व पुत्र अंकित किया है जो कि त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। उक्त त्रुटी दुरूस्त करने से सह खातेदारों के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। राज0 पैरोकार ने प्रकरण का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा पूर्व में भी प्रकरण संख्या 111/2020 उनवान लक्ष्मण बनाम घीसालाल में दिनांक 31.05.23 के निर्णय व डिक्री पारित कर किशनलाल पुत्र गंगाराम 1/2 हिस्सा के स्थान पर किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालूराम 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश जारी किये थे। पूर्व में इस वाद में अंकित आराजी मुतनाजा का इन्द्राज नही होने कें कारण वादीगण द्वारा प्रश्नगत वाद पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के तथ्यों की ताईद होती है। वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी है।
उक्तानुसार ग्राम व प0म0 मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 2077/0.54, 2078/0.52, 2079/0.52 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर किशनलाल पुत्र गंगाराम 1/2 हिस्सा के स्थान पर किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालूराम 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही कर नियमानुसार विरासत की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इन्द्राई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामकरण बनाम फूमली

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 126/2023
पेश करने की दिनांक — 28.07.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस) — व हाजिर अभिभाषक फारूक खत्री मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम व प0म0 मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 2077/0.54, 2078/0.52, 2079/0.52 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। उक्त आराजी पर किशनलाल पुत्र गंगाराम 1/2 हिस्सा के स्थान पर किशनलाल व गंगाराम पुत्र बालूराम 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही कर नियमानुसार विरासत की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक माह सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद